

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक / कार्मिक / 2017 / 749

रीवा, दिनांक 14-11-17

आदेश

म.प्र. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में, विश्वविद्यालयों हेतु लागू "सूचना के अधिकार अधिनियम" के अन्तर्गत नियुक्त पदाधिकारियों का पदक्रम निर्धारण संबंधी आदेश जारी किया जाता है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत (10.10.2017) वर्तमान में निर्धारित अधिकारियों का पदक्रम निम्नानुसार है -

1. अपीलीय अधिकारी
माननीय कुलपति जी
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
2. लोक सूचना अधिकारी
कुलसचिव
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सूचना आयुक्त, म.प्र. राज्य सूचना आयोग 35 बी सूचना भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
2. अवर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन भोपाल
4. संबंधित अधिकारीगण, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
5. वित्त नियंत्रक, अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
6. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा।
7. समस्त शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
8. डॉ. पी.के. राय, सिस्टम इंचार्ज, कम्प्यूटर सेंटर - विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अवलोड हेतु।
9. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक
10. संबंधित नरती

उपकुलसचिव (कार्मिक)

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/कार्मिक/2023/284

रीवा, दिनांक 02/03/2023

अधिसूचना

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत निम्नांकित अधिकारी द्वारा कार्य संपादन किये जाते हैं:-

1.	प्रो. राजकुमार आचार्य	कुलपति	अपीलीय अधिकारी
2.	प्रो. सुरेन्द्र सिंह परिहार	कुलसचिव	लोकसूचना अधिकारी
3.	प्रो. राजकुमार सोनी	परीक्षा नियंत्रक	सहायक लोकसूचना अधिकारी


कुलसचिव
K

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित अधिकारीगण की ओर सूचनार्थ।
2. विभागाध्यक्ष, संबंधित विभाग।
3. वित्त नियंत्रक, वित्त विभाग।
4. सहायक संचालक, आवासीय निधि संपरीक्षा।
5. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।
6. संबंधित नस्ती।


सहा.कुलसचिव (कार्मिक)
K